राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(9)राज-6/99/7 जयपुर,दिनांक:-9.4.99

-: अ धि सू च ना :-

राज्य सरकार , राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क , 102 और धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xx-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे सशक्त करने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का आवंटन,संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम,1981 में और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात:-

1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.</u>- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का आवंटन,संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) (संशोधन) नियम,1999 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. <u>नियम-2 में संशोधन.</u>- (1) राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का आवंटन ,संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण नियम,1981 के नियम 2 के उप-नियम (1) के विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

"(i) " परिधीय ग्राम " से किसी ग्राम का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो ऐसे नगरों या शहरों की,जिनमें राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 और जयपुर विकास प्राधिकरण,अधिनियम,1982 में यथापरिभाषित कोई मास्टर प्लान लागू नहीं है ,नगर योग्य सीमा या नगरपालिका सीमा, में से जो भी अधिक दूर हो,से इसमें नीचे उपदर्शित दूरी के भीतर स्थित हो ;

प्रवर्ग 1 के नगर या शहर - 5 कि0मी0
प्रवर्ग 2 के नगर या शहर - 3 कि0मी0
प्रवर्ग 3 के नगर या शहर - 2 कि0मी0
प्रवर्ग 4और5 के नगर या शहर - 1 कि0मी0 । "

राज्यपाल के आदेश से ,

(संजय दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव , राजस्व